किन्तु सरकार का कोलियरी नियंत्रण आदेश को पूर्णत: वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Plan of CIL to uplift the weaker section

5061. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the total amount spent throughout the country in the peripheral areas for the welfare and upliftment of the weaker section of the community by all the units and subsidiaries of Coal India Ltd. till date; and

(b) the details of the programmes undertaken by various units and subsidiaries under Coal India Ltd. in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINSITRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) As per information furnished by Coal India Limited an amount of Rs. 25.86 crores has been spent by the subsidiaries of Coal India Limited till date in the peripheral areas for the upliftment of weaker sections of the community.

The programmes undertaken in this regard include sinking of wells, construction of bus stands, rest sheds, construction of village roads, installation of hand pumps, construction of children parks, sulabh sauchalaya, community centres, library & adult education centre etc. Distribution of clothes, reading and writing materials to village children and aged persons and other such works are also taken up under the comomunity development programme.

एस० ई० सी० एल० में प्रशिक्षितियों को भत्ते

5062. **श्री राघवजी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० ई० सी० एल० में 48 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले श्रमिकों को दैनिक भत्ता और स्टाइपेन्ड कितना-कितना दिया जाता है ;

(ख)) क्या यह सच है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम वर्ष 1956 में बनाए गए थे और तब से लेकर अब तक उपर्युक्त भुगतान में कोई वृद्धि नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (सा०ई०कोल०) प्रत्येक व्यक्ति को, जोकि 48 दिन का प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे मजदूरी के बराबर की राशि (भत्ता सहित) प्रशिक्षण पूरा किए जाने के बाद रोजगार दिए जाने पर देय मजदूरी की अदायगी की जाती है । खान व्यवसाय प्रशिक्षण नियमों के अंतर्गत प्रत्येक हाजिरी के दिन के लिए दैनिक भत्ते के रूप में अदायगी की जाती है ।

(ख) और (ग) इस बारे में संगत नियमों को 1966 में बनाया बया था और अभी तक इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है :

वर्ष 1991–95 में एस० ई० सी० एल० का गैर-योजना व्यय

5063. **श्री राघवजी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एस० ई० सी० एस० का गैर-योजना व्यय वर्ष वार कितना-कितना था ;

(ख) क्या इस व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और